दूरभाष:011-22549627-28
फेक्स: 011-22459734

केन्दीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली- 110092

सं:. के.मा.शि.बो./सचिव/संबद्धता/2014 **19 दिसम्बर, 2014**

के.मा.शि.बो. से संबद्ध सभी
विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: विद्यालयों पर आतंकवादी आक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

हाल ही में पेशावर, पाकिस्तान में एक विद्यालय पर हुआ आतंकवादी हमला सभी को चौंकाने वाला है और हमें अपने विद्यालयों/संस्थानों में इस प्रकार की घटना की रोकथाम के लिए तंत्र आवश्यक है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने हमें पहले ही परामर्श दिया है कि ऐसी असाधारण आतंकवादी कार्रवाईयां व्यापक जन संचार माध्यमों और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए की जा सकती हैं क्योंकि जन समूह वाले स्थान जैसे: मॉल बहुपटीय सिनेमाहाल (मल्टीप्लैक्स), छात्रावास, स्कूल जो आतंकवादी हमलों के लिए आसान एवं अरक्षित लक्ष्य हैं।

के.मा.शि.बो. अपने परिपत्र सं. 15, दिनांक 5-4-2010 के माध्यम से विद्यालयों पर हमलों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) की आवश्यकता पर जोर देता है। उपरिलिखित परिपत्र की प्रति गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) की प्रति के साथ आपकी जानकारी हेतु संलग्न है । आपसे अनुरोध है कि इसे ध्यानपूर्वक देखें और सभी सम्बंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करें।

शुभाकांक्षी

(जोसफ इमेन्यूअल)
सचिव

संलग्न रू निर्देशानुसार

Website: www.cbse.nic.in ☎ 232237779

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालयए भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तक संगठन)
शिक्षा सदनए,17, इंस्टीट्यूशनल एरिया, राऊज़ एवेन्यू, नई दिल्ली-110002.

सं:. के.मा.शि.बो./नि.(शै.)/परिपत्र/2014 **दिनांक: 5 अप्रैल, 2010**

परिपत्र संख्या 15

के.मा.शि.बो. से संबद्ध सभी
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: विद्यालयों पर किसी आतंकवादी आक्रमण के प्रति कार्रवाई के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP)

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने सलाह दी है कि हाल के वर्षों में आतंकवाद से निपटने के दौरान प्राप्त अनुभव से स्पष्ट होता है कि असाधारण आतंकवादी कार्रवाईयां व्यापक जन संचार माध्यमों और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए की जा सकती हैं। जनसमूह वाले स्थान जैसे मॉल, बहुपटीय सिनेमाहाल (मल्टीप्लैक्स), छात्रावास, स्कूल आदि आतंकवादी आक्रमण के लिए आसान एवं अरक्षित लक्ष्य हैं। इसके लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) की आवश्यकता है जिसमें संबद्ध गतिविधियों के प्रतिकार के उपायों का निरूपण करने वाली संस्थाओं (एजेंसियों) के पदाधिकारियों की भूमिका को परिभाषित किया गया है।

विद्यालयों पर किसी आतंकवादी हमले से बचने/ प्रतिकार करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की है, जिसे सभी के.मा.शि.बो. से संबद्ध विद्यालयों की सूचना के लिए संलग्न किया है। प्रधानाचार्यों से निवेदन है :

क. मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) को ध्यान से पढ़ें और इसे विद्यालय के सभी अध्यापकों तथा कर्मचारियों के ध्यान में लाएं।
ख. दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की विस्तृत कार्य योजना तैयार करें।
ग. मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार विभिन्न कर्मचारियों तथा अध्यापकों के मध्य विशिष्ट भूमिका आबंटित करें।
घ. स्टॉफ को संकटकाल में उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताएं।
ङ. स्थानीय पुलिस अधिकारी के परामर्श से मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिए गए निवारक उपाय करें।
च. विद्यालय के सुरक्षा कर्मचारियों को सचेत करें।
छ. अभिभावकों को इस बात का स्पष्ट दिशा निर्देश दें कि ऐसी घटनाओं की खबर होने पर उन्हें क्या करना तथा क्या नही करना चाहिए।
ज. स्थानीय पुलिस की सहायता से विद्यालय की अग्रिम सुरक्षा अन्वेषण का आयोजन करें।
झ. छात्रों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों के लिए कृत्रिम अभ्यास (ड्रिल) करवाएँ।

इस परिपत्र का उद्देश्य विशुद्ध रूप से शैक्षिक है ताकि विद्यालय का प्रशासन किसी भी संभावित घटना के प्रति सतर्क और तैयार रहे। प्रधानाचार्यों से निवेदन है कि इस सूचना का प्रसार कोई भय उत्पन्न किये बिना सावधानी से किया जाए।

इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को सभी प्रमुख विद्यालयों को इस प्रकार की आकस्मिकताओं को रोकने एवं निपटने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। इन्हें किसी भी विशेष संस्था के लिए किसी विशेष आशंका या पूर्व सूचना का संकेत न समझा जाए।

मेरा अनुरोध है कि इन निर्देशों को कार्यान्वित करके बोर्ड को सूचित करें।

शुभाकांक्षी

हस्ता०
सी गुरुमूर्ति,
निदेशक (शैक्षणिक)

संलग्न: आतंकवादी आक्रमणों का सामना करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के मार्गदर्शी सिद्धांत साग्रह, सम्बंधित अनुशासक वर्ग निदेशालय/के.वि.सं./सी.टी.एस.ए के लिए प्रतिलिपि। इन सबसे अनुरोध है कि अपने अधिकार क्षेत्र में आनेवाले सभी विद्यालयों को यह सूचना प्रेषित की जाए:

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18. इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टेर.9 चंडीगढ़.160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग, जंगली घाट, पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस.प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर.-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्तध विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
11 शैक्षणिक शाखा के शिक्षा अधिकारी/सहायक शिक्षा अधिकारी, सीबीएसई
12 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
13 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
14 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के कार्यकारी अधिकारी
15 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सहायक/डेस्क अधिकारी
16 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
17 निदेशक (शैक्षणिक), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
18 विभाग अध्ययक्ष (एडूसेट) के निजी सहायक
19 विभाग अध्ययक्ष, (ए आई ई ई ई) के निजी सहायक
20 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.

विद्यालयों में किसी भी आतंकवादी आक्रमण का सामना करने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया

(S O P)

1. **<u>पृष्ठभूमि</u> :**

हाल के कुछ वर्षों के दौरान आतंकवाद से जूझने के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि व्यापक मीडिया व जनता का ध्यानाकर्षण करने हेतु बड़े आतंकवादी आक्रमण किए गए हैं। माल, बहुपटीय सिनेमाहाल (मल्टीप्लैक्स), छात्रावास, स्कूल आदि जनसमूह वाले स्थल आतंकवादी आक्रमण के लिए अत्यधिक अरक्षित हैं। इनसे निपटने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) की आवश्यकता है जिसमें, विद्यालयों में ऐसे आक्रमणों का प्रतिकार करने के लिए सहभागी संबद्ध एजेंसियों के पदाधिकारियों की भूमिका को परिभाषित किया गया है।

2. **<u>मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP) का उद्देश्य</u> :**

इस मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का उद्देश्य विद्यालयों पर आतंकवादी हमलों से निपटने और रोकने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रणाली तैयार करना है। तथापि, यह केवल सामान्य मार्गदर्शन हैं | प्रत्येक आतंकवादी घटना भिन्न होती है और उन से निपटने के लिए सामान्यत: इन मार्गदर्शनि सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, हर परिस्थिति की विशिष्टता को देखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए |

3. **<u>विद्यालयों की पहचान</u>:**

स्थानीय पुलिस मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के उद्देश्य से अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले प्रमुख विद्यालयों की एक सूची तैयार करें |

4. **<u>सुरक्षात्मक उपाय</u> :**

4.1. प्रत्येक विद्यालय में तीन-चार द्वारों वाली एक कंक्रीट की चारदीवारी हो, और प्रत्येक द्वार पर 24 घंटे कम से कम तीन गार्ड तैनात रहने चाहिए।

4.2. पुलिस नियंत्रण कक्ष और स्थानीय पुलिस थाने के दूरभाष नम्बरों की सूची विद्यालय प्राधिकारी-वर्ग द्वारा नियमित रूप से अनुरक्षण और अद्यतन रखी जानी चाहिए| यह विवरण महत्त्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि संकट के समय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, विद्यार्थी, स्टाफ अथवा सुरक्षा कर्मचारी या विद्यालय से कोई भी व्यक्ति पुलिस से संपर्क कर सके| विद्यालय सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए एक नोडल अधिकारी किया जाना चाहिए |

4.3. विद्यालय के प्रमुख द्वार पर दूरभाष संपर्क होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा कर्मचारी नोडल अधिकारी अथवा प्रधानाचार्य को सूचित किये बिना ही पुलिस से संपर्क स्थापित कर सके|

4.4. विद्यालय की चारदीवारी पर उचित रोशनी होनी चाहिए ताकि कोई भी रात के समय दीवार से कूदकर किसी जघन्य गतिविधि के लिए स्कूल में प्रवेश न कर सके|

4.5. किसी को भी दीवार से कूद कर आने से रोकने के लिए चारदीवारी के ऊपर लोहे की ग्रिल पर कंटीली तारें लगाई जा सकती है|

4.6. चारदीवारी के साथ-साथ तथा परिसर में अन्य स्थानों पर सी.सी.टी.वी प्रणाली लगाई जा सकती है ताकि किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। सिस्टम में किसी घुसपेठ का पता लगाने के लिए पिछले तीन दिन की रिकार्डिंग की सुविधा के साथ आवश्यक वीडियो

विश्लेष्णात्मक और श्रव्य दृश्य अलार्म का प्रबंध हो | सी.सी.टी.वी. प्रणाली अलार्म का सीधा संपर्क निर्धारित द्वारों से होना चाहिए ताकि ये स्वत: बंद हो सकें।

4.7. सुरक्षा कर्मचारियों तथा नोडल सुरक्षा अधिकारी के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए वॉकी टॉकी सेट का प्रबंध होना चाहिए | मुख्य द्वार/चारदीवारी के अन्य द्वारों तथा नोडल सुरक्षा अधिकारी एवं विद्यालय प्रधानाचार्य के मध्य प्रभावशाली सम्प्रेषण के लिए इंटरकॉम (अन्तः संचार) का प्रबंध होना चाहिए |

4.8. नोडल सुरक्षा अधिकारी और सभी कक्षाओं /पुस्तकालय इत्यादि के मध्य केन्द्रीय जन घोषणा प्रणाली का प्रबंध होना चाहिए जिसके द्वारा कक्षा में छात्रों/कर्मचारियों को व्यक्तिगत,सामूहिक अथवा चयनित संयोजन के अनुसार हिदायतें दी जा सकें |

4.9. सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा सुबह छात्रों के विद्यालय में पहुँचने से पहले सम्पूर्ण विद्यालय की एक प्रत्यक्ष 'तोड़ फोड़ विरोधी जांच' कर लेनी चाहिए | वे विद्यालय के सामने के पैदल-पथ, पार्किंग और चारदीवारी के चारों ओर की जांच करें ताकि इन स्थानों पर पड़ी हुई किसी लावारिस, संदेहास्पद वस्तु का पता लगाया जा सके।

4.10. **अलार्म (चेतावनी) व्यवस्था** - समस्त सुरक्षा कर्मियों , प्रधानाचार्य,अध्यापकों और छात्रों को सतर्क करने के लिए विद्यालयों में एक उपयुक्त विद्युत घंटी केन्द्रीय स्थान पर लगानी आवश्यक है, जिसका संपर्क सभी द्वारों से हो। चेतावनी व्यवस्था की एक प्रदर्शन-पट्टिका (डिस्प्ले पैनल) होनी चाहिए, जिस पर अलार्म बजने के स्थान का संकेत हो। यदि कोई गाड़ी द्वार में टकराती है तो अलार्म को सुरक्षा कर्मचारी हाथ से दबा सके या स्वतः सक्रिय हो। नोडल सुरक्षा अधिकारी को अलार्म बजने का कारण तुरंत जानने का प्रयत्न करना चाहिए तथा प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए ताकि विद्यालय में आपातिक ड्रिल प्रारंभ की जा सके और पुलिस को सूचित किया जाए।

5. कार्रवाई/सक्रिय चरण :

किसी आकस्मिकता के समय स्कूल प्राधिकारी वर्ग की प्रतिक्रिया : विद्यालय प्राधिकारी वर्ग के लिए अभ्यास को भागों में विभाजित किया जाना चाहिए | एक तो छात्रों के आगमन और प्रस्थान के समय और दूसरा जब विद्यालय कार्यात्मक हो|

छात्रों के आगमन/प्रस्थान के समय अभ्यास

i. आगमन/प्रस्थान के समय छात्रों का अपहरण

क. मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा-कर्मचारी या नोडल सुरक्षा अधिकारी घटना के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें। सुरक्षा-कर्मचारी को गाड़ी के रंग आदि का सही विवरण पुलिस को देना चाहिए ताकि पुलिस रेड अलर्ट जारी करें और संदिग्ध गाड़ी की खोज कर सके |

ख. मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा-कर्मचारी सड़क या पैदल-पथ से बच्चों को तुरंत विद्यालय के अंदर भेजकर द्वारों को बंद कर दें |

ग. जो बच्चे बसों या गाड़ियों में ही हों, और नीचे नहीं उतरे हों, उन्हें वहाँ से आगे बढ़ने और उस स्थान को छोड़ने के लिए कहें।

घ. मुख्य-द्वार के सुरक्षाकर्मी को तुरंत अलार्म बेल बजा देनी चाहिए ताकि मध्यवर्ती द्वार बंद करके स्कूल ब्लाक में छात्रों को अलग और सुरक्षित किया जा सके। उसे यह सूचना नोडल सुरक्षा अधिकारी और विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी देनी चाहिए |

ii. विद्यालय के पास सड़क पर आकस्मिक गोली चलना

क. छात्रों के आगमन/प्रस्थान के समय मुख्य द्वार पर दो सुरक्षा कर्मचारी होने चाहियें| मुख्यद्वार के सुरक्षा कर्मचारी को सभी बच्चों को शीघ्र अंदर ले जाकर द्वार बंद कर लेना चाहिए |

ख. दूसरे सुरक्षा कर्मचारी को उन बसों तथा गाड़ियों को जिनमें से बच्चे नीचे नहीं उतरे हैं, शीघ्रता से उस स्थान से दूर चले जाने के लिए कहें।

ग. मुख्य -द्वार के सुरक्षा कर्मचारी पुलिस तथा नोडल सुरक्षा अधिकारी को सूचित करे।

घ. अलार्म बजाना चाहिए और किसी भी छात्र को बाहर आने से रोकने के लिए मध्यवर्ती द्वार बंद कर दिए जाने चाहियें|

ङ. घायल बच्चों तथा अन्य पीड़ितों को शीघ्र ही अस्पताल पहुँचाएं।

iii. स्कूल में सशस्त्र अनाधिकार का प्रवेश और बंधक बनाया जाना

यदि सशस्त्र आतंकवादी किसी तरह विद्यालय में प्रवेश कर जाएँ और अध्यापकों/छात्रों/अन्य किसी को बंधक बना लें तो तुरंत कार्रवाई दल आतंकियों को व्यस्त रखने के अलावा विद्यालय के प्राधिकारी वर्ग द्वारा निम्न उपाय किए जाने चाहिए:

क. पुलिस को सूचित करें|

ख. आरंभ में अध्यापकों/छात्रों को अपने-अपने कमरे में ही रहना चाहिए और जो बरामदे में हो वे भी शीघ्र ही निकटस्थ कक्ष में चले जाए हों और उतावले होकर अपने बचाव के लिए दरवाज़े की ओर भागने का प्रयत्न न करें। वे कमरे के दरवाज़े अंदर से बंद कर लें और अकस्मात गोलाबारी से स्वयं को बचाने के लिए कमरे में ज़मीन पर लेट जाएँ |

ग. सुरक्षा कर्मचारी द्वार के अनुसार पहचाने जाने चाहिएं। उन्हें अपने स्थान से संबंधित द्वार की चाबी लेकर उन्हें खोलने के लिए चले जाना चाहिए ताकि जब संभव हो तब बच्चों को सुरक्षित बाहर भेज सके। वे द्वार खोलने से पहले जांच लें कि बाहर शरारती तत्व तो नहीं हैं और प्रस्थान के लिए मार्ग उपलब्ध है और जब फिर अध्यापक/नोडल सुरक्षा अधिकारी कहें तब द्वार खोल दें।

घ. यदि आतंकवादियों के ठिकाने का पता हो और किसी द्वार के लिए अन्य कक्षाओं से सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो तो संबंधित अध्यापक अपनी निगरानी में अपनी कक्षा के छात्रों को बिना आवाज़ किए एकल फाईल में बाहर ले जाएँ |

ङ. बच्चों को किसी खुले मैदान में एकत्रित होने को न कहा जाए क्योंकि वे आसान लक्ष्य बन सकते हैं |

च. संदेहास्पद स्थिति में कोई हलचल नहीं की जानी चाहिए और अध्यापक/स्कूल प्राधिकारियों को पुलिस के पहुँचने, परिस्थिति को नियंत्रित करने, आतंकवादी को घेरने और बच्चों को अपने स्थानों से स्कूल से बाहर जाने का एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए |

छ. एक गार्ड तुरंत मुख्य द्वार की ओर जाए और आने वाली गाड़ियों तथा बसों को एक-एक करके घर लौटने का निर्देश दे |

iv. विद्यालय के परिसर में अथवा विद्यालय के आस-पास किसी संदिग्ध विस्फोटक वस्तु का मिलना

क. विद्यालय के कर्मचारी , अध्यापक और छात्रों को विद्यालय के अंदर या बाहर पड़ी किसी लावारिस, अरक्षित वस्तु को न छूने के लिए नियमित रूप से हिदायत देते रहें | यदि ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, तो तुरंत उसके विषय में विद्यालय के नोडल सुरक्षा अधिकारी को सूचित करें | यदि यह किसी छात्र द्वारा देखी जाती है तो वह तत्काल सामने वाले अध्यापक को इस विषय में सूचित करे, जो यह सूचना विद्यालय के प्रधानाचार्य/नोडल सुरक्षा अधिकारी को देंगे | सभी को ऐसी वस्तु से दूर रहने की हिदायत भी देनी चाहिए |

ख. यदि बम की आशंका हो तो उस क्षेत्र की जांच किये बिना बच्चों को एक स्थान पर एकत्रित नहीं करना चाहिए | सभागृह, मैदान आदि जैसे स्थान नियत किये जा सकते हैं और बच्चों के वहां एकत्रित होने से पहले स्कूल के आठ-दस लोगों के दल को उस स्थान की जांच के लिए नियुक्त करें और दल के लोग उस स्थान पर फ़ैल जाएँ और शीघ्रता से उस स्थान का निरीक्षण करें |

ग. यदि बम पहले ही फट चुका है तो बच्चों को लेकर स्कूल में आने वाली गाड़ियों और बसों को घर वापस लौटा दें |

घ. घायल और हताहतों को अस्पताल भेजें |

ङ. नोडल सुरक्षा अधिकारी अथवा प्रधानाचार्य या विद्यालय में उपस्थित सुरक्षा कर्मचारी तुरंत पुलिस को सूचित करें |यह सूचना पुलिस को शीघ्र ही प्रतिक्रिया करने के लिय मुस्तैद करेगी |

<u>विद्यालय के कार्यात्मकता के दौरान ड्रिल (अभ्यास)</u>

क. बच्चों के आने के बाद चारदीवारी के सभी द्वार बंद करके उनपर ताले लगा देने चाहियें | सुरक्षाकर्मी कारण की वैधता जानकर ही द्वार खोलें | एक बार ताला लगा दिए जाने पर अनाधिकार प्रवेश की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ज़बरदस्ती प्रवेश करने वाला व्यक्ति जानता है कि यदि उसने ज़बरन प्रवेश करने की कोशिश की तो विद्यालय का प्राधिकारी वर्ग पुलिस को सूचित कर देगा और उनकी लक्ष्य-प्राप्ति में बाधा आ सकती है | फिर भी, यदि कोई व्यक्ति स्कूल-परिसर में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करेगा या गाड़ी से द्वार तोड़ने (क्रैश) की कोशिश अथवा सुरक्षाकर्मी को जान की धमकी देकर द्वार खुलवाने की कोशिश करे या दीवार से कूदे तो निम्न उपाय किए जा सकते हैं -

ख. मुख्य द्वार का सुरक्षाकर्मी पुलिस और नोडल सुरक्षा अधिकारी को तुरंत सूचित करे|

ग. यदि अन्य द्वारों के सुरक्षाकर्मी घुसपैठिये को देख लेते हैं या द्वार खोलने के लिए घुसपेठिए द्वारा धमकी दी जाती है तो उन्हें तुरंत अलार्म बजा देना चाहिए | ऐसी स्थिति में धमकी किस प्रकार की है यह बताने के लिए घंटी बजाने का कोड निर्धारित कर दिया जाना चाहिए |

घ. नोडल सुरक्षा अधिकारी को तुरंत विद्यालय में केन्द्रीय जन उद्घोषक प्रणाली द्वारा सामान्य सतर्कता की घोषणा करनी चाहिए और सुरक्षा ड्रिल के लिए सभी सम्बंधित वर्ग को सूचित किया जाना चाहिए अर्थात छात्र, विद्यालय के अधिकारी वर्ग कमरों में जाकर अपनी सुरक्षा के लिए अंदर से द्वार बंद कर लें।

ङ. नोडल सुरक्षा अधिकारी प्रधानाचार्य को सूचित करे |

च. तथापि, अपराधी/आतंकवादी फिर भी विद्यालय में प्रवेश करके आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं तो विभिन्न गतिविधियों के लिए निम्न अभ्यास किए जाने चाहिएँ:

(i) बच्चों का अपहरण/बड़ी संख्या में बच्चों को मारने के लिए विद्यालय के अंदर गोलाबारी

यह मान लिया जाता है कि आतंकवादी/अपराधी अपराध करके भाग गए हैं। ऐसी अवस्था में:

- अपराधियों/आतंकवादियों का पूर्ण विवरण, उनकी संख्या, उनके वाहन सहित का विवरण यदि नोट किया हो पुलिस को सूचित करें |
- नोडल अधिकारी जन उद्घोषणा प्रणालीद्वारा छात्रों तथा कर्मचारियों को अपने कमरें में रहने की हिदायत दें |
- यदि कोई घायल या हताहत है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाए |
- जिन्होंने अपहरणकर्ताओं को देखा है और उनका हुलिया नोट किया है तो उनकी पहचान करें और उन्हें एक स्थान पर एकत्र होकर पुलिस की तहकीकात में मदद करनी चाहिए |
- अभिभावकों को सूचित करने तथा बच्चों के घर लौटने की ड्रिल को क्रियान्वयित करें |

(ii) अन्य परिस्थितियों में ड्रिल ठीक वैसी होगी जैसा अनुच्छेद 4.1 (अ) में वर्णित है |

6. <u>अभिभावकों के साथ संपर्क</u>

यह संभव है कि इस प्रकार की घटना का समाचार शीघ्र ही फ़ैल जाएगा और अभिभावक दहशत में स्कूल की ओर न दौड़े। अभिभावक स्कूल की ओर न आयें और पुलिस की आगे की कार्रवाई में बाधा न डालें, उन्हें पूर्व निर्धारित केन्द्रीय स्थान पर जो स्कूल के समीप ही हो, आने की सूचना दे देनी चाहिए | जहाँ से उन्हें स्थिति से अवगत करवाकर छात्रों को उनके हवाले कर दिया जाए | यह तभी संभव है यदि विद्यालय में सभी अभिभावकों के मोबाइल नम्बर एक केंद्रीकृत डाटाबेस में रखने की पद्धति का प्रबंध हो| इस पद्धति की सहायता से परिस्थिति समझाते हुए आवश्यक तथ्यों का समावेश करके, हिदायत देने के स्थान पर एकत्रित होने की सूचना का एक एस.एम.एस तैयार करके भेज दिया जाना चाहिए | इसके लिए, स्थानीय पुलिस पहले से ही अभिभावकों के एकत्र होने के स्थान का चयन करके एक सूची तैयार करे और यह सूची स्थानानुसार सभी विद्यालयों तथा जिला मुख्यालयों और राज्य मुख्यालयों को पहले से ही उपलब्ध करा दी जानी चाहिए |

7. सामान्य सुझाव

1) विद्यालय के सभी द्वारों को छात्रों के आगमन के तुरंत बाद से स्कूल समाप्त होने तक बंद रखा जाना चाहिए ताकि विद्यालय में किसी के भी बलपूर्वक प्रवेश को रोका जा सके।
2) निकटस्थ अस्पतालों, पुलिस थानों, और सहायक डेस्क के फोन नं. विद्यालय के मुख्य स्थानों पर लगाने चाहिए।
3) प्रत्येक द्वारों के लिए सुरक्षा कर्मचारी होने चाहियें और हर द्वार के लिए एक सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त हो और एक ऐसी सूची हो जिसमें यह सूचना उपलब्ध हो कि कौन से सुरक्षा कर्मचारी के पास किस द्वार की चाबी उपलब्ध है | सभी द्वारों पर गार्ड होने चाहिएँ।
4) एक केन्द्रीय अलार्म तथा जन घोषणा पद्धति का प्रबंध हो,ताकि कक्षाओं को सामूहिक के साथ-साथ वैयक्तिक रूप से और चयनित संयोजन में संबोधित किया जा सके।
5) सभी अध्यापकों और कर्मचारियों को उचित रूप से संभावित खतरों के प्रति समुचित निर्देश और सूचना दी जानी चाहिए |
6) एक सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें अध्यापकों में आबंटित कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी हो जैसे कौनसे अध्यापक/कर्मचारी पर बच्चों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है, कौन पुलिस को सूचना देगा, कौन अभिभावकों को और कौन अस्पताल कर्मचारियों को सूचित करेगा |
7) सभी बस चालकों को शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने के लिए आगाह किया जाए तथा विद्यालय द्वार पर नियत सुरक्षा कर्मचारियों के आदेशानुसार अथवा द्वार पर किसी आक्रमण के दौरान अपनी बसों को बच्चों सहित वहां से ले जाने की हिदायत दी जानी चाहिए।
8) द्वार पर खड़े सुरक्षाकर्मी को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को आसपास घूमते देखकर अथवा द्वार पर खड़े देखकर सचेत हो जाना चाहिए।
9) विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए कि कक्षा, किसी द्वार अथवा क्रीड़ास्थल में अरक्षित वस्तु तो नहीं पड़ी है।
10) विद्यालय में नये भर्ती कर्मचारियों के पूर्ववृत का उचित सत्यापन किया जाना चाहिए।
11) विद्यालय में काम करने वाले सभी मजदूरों को एक अस्थायी फोटो पहचान-पत्र दिया जाये | सुरक्षाकर्मी उनकी सामान्य रूप से नियमित जांच करें ताकि उन्हें किसी भी संदिग्ध वस्तु (बम/आई.ई.डी.) को विद्यालय में लाकर रखने से रोका जा सके|
12) विद्यालय प्राधिकारियों को विद्यालय के नक़्शे की प्रति पहले से ही पुलिस थाने में उपलब्ध करवानी चाहिए।

8. <u>अग्रिम रेकी</u>

भविष्य में किसी आकस्मिकता से निपटने करने के लिए आपरेशन की तैयारी हेतु स्थानीय पुलिस स्कूल के साथ मिलकर स्कूल का अग्रिम सर्वेक्षण करना चाहिए।

9. <u>कृत्रिम अभ्यास</u>

विद्यालय प्राधिकारी तथा मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार अध्यापकों/छात्रों/कर्मचारियों को सावधान करें, अभ्यास करवाएं, ताकि हर कोई आपातिक घटना के समय अपनी भूमिका से अवगत हो | वे अपने कृत्रिम अभ्यास में स्थानीय पुलिस को भी सम्मिलित कर सकते हैं |